न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :– श्री हरफूल सिंह यादव,आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :–75/2024
जी.सी.एम.एस नंबर :– 2024/75

अपीलाण्ट :–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
पीथाराम पुत्र नोनजी, जाति–कलबी, निवासी दांतीवास, तहसील भीनमाल, जिला जालोर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीनमाल

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश न्यायालय न्यायालय जिला कलेक्टर, जालोर के प्रकरण संख्या 14/2018

उपस्थिति :–
श्री राजूराम हरियाल विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट।

:: **निर्णय** ::

दिनांकः– 30/8/24

1. पत्रावली में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय जिला कलेक्टर के प्रकरण संख्या 14/2018 के निर्णय से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की गई तथा रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन से तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट बावजुद सम्मन तामिल के न्यायालय में उपस्थित नही हुए।

3. बहस अपील अपीलाण्ट की सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान निवेदन किया कि यह है कि पटवारी दांतीवास की रिर्पोट पर रेस्पोडेण्ट सं. 1 ने अपीलाण्ट के खिलाफ ग्राम दांतीवास के वर्तमान खसरा नम्बर 1643 रकबा 0.29 हेक्टर पर अतिक्रमण मानकर एक माह के सिविल कारावास का एंव जुर्माने से दण्डित कर बेदखली का आदेश दिया था जिसकी अपील जिला कलेक्टर जालोर के समक्ष की गई जिसे अदालत ने बिना किसी ठोस आधार पर खारीज कर दी जिससे असंन्तुष्ट होकर यह अपील पेश कि जा रही है । महातत अदालत ने पत्रावली का सही अवलोकन किये बिना ही फैसला देने में कानुनी व वाक्याती भुल की है। रेस्पोडेण्ट सं. 1 ने एकतरफा फैसला दिया एंव रेस्पोडेण्ट सं. 1 ने स्वयं मौका नहीं देखा। अपीलाण्ट की दिनांक 8.12.17 से गैर हाजरी दर्ज की गई क्योकि दिनांक 30.11.17 को मौके पर पेशी रखी गई थी लेकिन मौके पर पेशी नहीं करके तहसील में ही पेशी की गई जिसपर अपीलाण्ट की गैर हाजरी दर्ज की गई तथा उसके 7 पेशीयो के बाद फैसला दिया था जिसकी कोई सुचना अपीलाण्ट को नहीं दी गई जो नियम विरुद्ध है। तहसील में तारीख पेशी 30.11.17 के नोटीस में अपीलाण्ट का अगुंठा लगाया गया है जबकि अपीलाण्ट हस्ताक्षर करता है। रेस्पोडेण्ट सं. 1 ने बिना मौका देखे तथा बिना कोई साक्ष्य सुबत का उचित मौका दिये फैसला देने में कानुनी भुल की है जो काबिल खारीज है। रेस्पोडेण्ट सं. 1 ने जल्दबाजी में फैसला दिया है जो गलत है तथा प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है। रेस्पोडेण्ट सं. 1 के सामने दिनांक 30.11.17 को कब्जा नहीं होने की भी रिर्पोट पेश कर दी गई थी उसके बावजुद भी रेस्पोडेण्ट सं. 1 व 2 ने अपने निर्णय में इसका कोई हवाला नही

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

दिया है। दिनांक 13.01.18 को अपीलाण्ट के सामने मौका नहीं देखा गया ना ही मौका रिर्पोट अपीलाण्ट के सामने बनाई है जिसके कारण इसे सही नही माना जा सकता है। रेस्पोडेण्ट सं. 2 के सामने अपील पेश करने के बाद मौका रिपोट पेश की गई जिसमें अपीलाण्ट का मौका हटाया हुआ था जिसके कारण तत्कालीन जिलाधीश ने प्रकरण में स्टे भी दिया था परन्तु वर्तमान जिलाधीश ने अपीलाण्ट की मौके रिपोर्ट से गैर हाजीर मानकर अपील को खारीज कर दिया जो नियम विरुद्ध है क्योकि कब्जा हटाने की रिर्पोट के बाद पुनः कब्जा कर लेने की कोई भी रिर्पोट पत्रावली पर नही है जिसके कारण अपील को स्वीकार करना चाहीए था। अपीलाण्ट के द्वारा आरआरटी 2014(1) पेज न. 352 की रुलींग भी अधीनस्थ न्यायालय में पेश की थी लेकिन उसका भी कोई हवाला नही दिया गया है जिसमें कहा गया है कि अगर अपीलाण्ट कब्जा हटाने बाबत अपना शपथ पत्रदेने पर पत्रावली को रिमाण्ड किया गया है। परन्तु रेस्पोडेण्ट सं. 2 ने इसे रुलींग को नजर अंदाज कर दिया जिसके कारण अपीलाण्ट के साथ न्याय नहीं होने के कारणयह अपील पेश करनी पड रही है। जिसके कारण अपीलाण्ट का शपथ पत्र भी पेश किया जा रहा है।

5. हमने उपस्थित के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर चिन्तन एवं मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर जालोर के प्रकरण संख्या 14/2018 में अपीलाण्ट को विधि के अनुसार नही सुना गया है तथा न ही साक्ष्य सबूत पेश करने का उचित अवसर प्रदान किया गया है। तहसीलदार, भीनमाल ने अपने पत्रांक/कोर्ट/2024/743 दिनांक 2.7.2024 के बिन्दु संख्या 6 में यह यह कथन किया गया है कि दिनांक 26.6.2024 को प्रार्थी द्वारा स्वेच्छा से वाद ग्रस्त आराजी का कब्जा/ अतिक्रमण हटा दिया गया है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में भी निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नही है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश वर्तमान मौक रिपोर्ट अनुसार तथ्यों से समर्थित नही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को यथावत रखना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, जालोर के प्रकरण संख्या 14/2018 दिनांक 24.06.2019 व तहसीलदार भीनमाल के प्रकरण संख्या 54/2017 अनवान सरकार बनाम पीथाराम निर्णय दिनांक 29-01-2018 को अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 30/8/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)